

165



भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India



सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

स्पीड पोस्ट

No. WII/RTI/CPIO/2017-18(Qtr-III)/App.30

Dated 12.12.2017

सेवा में,

श्री आसिफ रजा,
रज़ा एंड संस, नगर निगम कार्यालय के सामने,
कृष्णगंज वार्ड,
सागर (मध्य प्रदेश)

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाहने के बाबत-

सन्दर्भ - आपका आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2017 जो कि इस संस्थान को 22.11.2017 को
प्राप्त हुआ

महोदय,

संदर्भित RTI का अवलोकन करने की कृपा करें जो कि इस संस्थान को सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बिन्दू 1-2 तक सूचना देने के लिए प्राप्त हुई है। इस
सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाओं का उत्तर संस्थान के सम्बंधित
अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है जो कि इस पत्र के साथ 1 (एक) प्रष्ठ में संलग्न है।

अगर आप उक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम
2005, के तहत अधोलिखित अपीलीय प्राधिकारी को एक माह के भीतर अपील कर सकते हैं
- डॉ॰ वि॰बि॰माथुर, निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट
बॉक्स 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248001, दूरभाष न॰ 0135-2640910, 2646102.

धन्यवाद,

Cell-4080000
12/12/17

भवदीय
अ. ल. बारोठ
(डा॰ अजू बारोठ) 12/12/17

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न - 1 प्रष्ठ

0/L

पत्रपेटी सं० 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248 001, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehra Dun - 248001, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स : + 91-135-2640111 से 2640115 फ़ैक्स : 0135-2640117, तार : WILDLIFE
EPABX : + 91-135-2640111 to 2640115: Fax : 0135-2640117; GRAM : WILDLIFE
ई-मेल / E-mail : wii@wii.gov.in

वन्यजीव फोरेंसिक एवं कन्जर्वेशन जेनेटिक्स प्रकोष्ठ

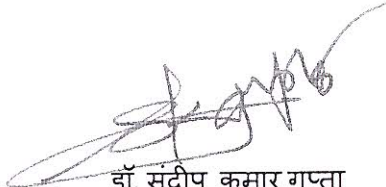
F # WII /WFC /१९३/२००७

११ दिसम्बर २०१७

विषय : R.T.I. Act , २००५ के अंतर्गत आसिफ़ रजा के द्वारा अनुरोध की गई सूचना के सम्बंध में।

साउथ सागर फारेस्ट डिवीज़न के प्रकरण क्र० १८०८/०२ दि० १०/०१/२०१६ के सम्बंध में चार्ही गई सूचना निम्नांकित है।

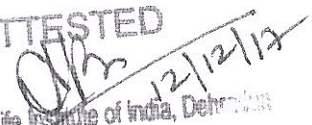
१. उपरोक्त प्रकरण, D.F.O., साउथ सागर फारेस्ट डिवीज़न के पत्र क्र० व.नि.स. /व.प्रा. /१६/१४३ दि० १४/०१/२०१६ के माध्यम से हमारे संस्थान को प्राप्त हुआ था। जिसकी D.N.A. पद्धति के द्वारा जाँच करके रिपोर्ट को सम्बंधित अधिकारी को दि० १६/०६/२०१६ को प्रेषित कर दिया गया था। सम्बंधित प्रकरण की जानकारी इसके गोपनीय होने के कारण R.T.I. एक्ट, २००५ के **सेक्शन ८** के क्लॉज़ **g** एवं **h** के अंतर्गत उपलब्ध नहीं किये जा सकते।
२. हमारी संस्थान प्रत्येक केस के लिए रूपए १५०००/- जाँच शुल्क लेती है।


डॉ. संदीप कुमार गुप्ता

साइंटिस्ट - E

C.P.I.O. WII

ATTESTED


CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun